कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023
Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. : हि. अनु./पुस्त./मुख्या/2021/1900 दिनांक : 07 NOV 2025

सेवा में,

निदेशक पीडीनास,
सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)/
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, (क्षेत्रीय कार्यालय/ आं.प्र.सं) एवं
क्षे.भ.नि.आयुक्त मुख्या. (प्र.से.प्र.)

विषय : सभी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में एतद्द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या : 11011/12/2024-रा.भा.(अनु.), दिनांक 19/11/2024 का संदर्भ लेते हुए, कार्यालयों में पुस्तकालयों हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए विभिन्न दिशानिर्देशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है :-

I. पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों (जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर) की खरीद हेतु निर्धारित कुल अनुदान राशि का कम से कम 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाना अपेक्षित है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 में भी यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

II. उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न प्रकार की पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं :-

- हिंदी में काम करने के लिए संदर्भ ग्रंथ जैसे शब्दकोश, शब्दावली, विभाग/कार्यालय के काम से संबंधित विषयों पर हिंदी में पुस्तकें।
- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही मौलिक पुस्तक लेखन योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कृत और प्रकाशित पुस्तकें।
- इसके अलावा, हिंदी शास्त्रीय साहित्य संबंधी पुस्तकें।
- भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा हिंदी में प्रकाशित पुस्तकें।

- राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकों की सूची से।

III. पुस्तकें हमें बेहतर मार्ग की ओर प्रशस्त ही नहीं करती हैं, बल्कि हमें संवेदनशील भी बनाती हैं। कार्यालयीन वातावरण को बेहतर बनाने में पुस्तकालय की अहम भूमिका होती है। अतः जिस भी कार्यालय में पुस्तकालय नहीं है, वहाँ पुस्तकालय के साथ एक वाचनालय (रीडिंग रूम) बनाया जाना चाहिए, ताकि कार्यालय में अधिकारी/कर्मचारी की कार्यशैली के साथ-साथ जीवनशैली भी बेहतर हो सके।

- पुस्तकालय निर्माण/रख-रखाव हेतु किसी कनिष्ठ अनुभाग अधिकारी/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी/ कनिष्ठ सचिवालय सहायक/एमटीएस को कार्यभार दिया जा सकता है।

चूंकि 31 मार्च, 2026 को वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त हो जाएगा, अतः आपसे अनुरोध है कि समय रहते अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी कार्यालयों में उक्त मद पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। कृपया कृत कार्रवाई की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ हिंदी अनुभाग, मुख्यालय को dir.ol@epfindia.gov.in पर भेजने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

(भास्कर चौर्डिया)

अपर कें. भ. नि. आयुक्त (मुख्या.)/ प्रभारी (राजभाषा)

प्रतिलिपि : क्षे. भ. नि. आ. (एनडीसी) को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।